

प्रियंका को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मुहिम तेज

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 28 जुलाई।

लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के मद्देनजर अध्यक्ष पद से राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद नेतृत्व को लेकर मझधार में फंसी पार्टी की कमान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को सौंपे जाने की आवाज बुलंद होने लगी है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने प्रियंका को पार्टी अध्यक्ष बनाने की न केवल पुरजोर वकालत की है, बल्कि यह भी कहा है कि उनमें ही अपनी दादी इंदिरा गांधी की तरह मुश्किल वक्त में पार्टी को दोबारा सत्ता में ला खड़ा करने का दमखम है। इन नेताओं ने यह दलील भी दी है कि यदि गांधी परिवार से बाहर के व्यक्ति को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया तो पार्टी में बिखराव होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा।

केंद्र सरकार के पूर्व मंत्रियों नटवर सिंह, भक्तचरण दास, श्रीप्रकाश जायसवाल, अनिल शास्त्री आदि नेताओं के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता व सांसद शशि थरुर ने भी उम्मीद जताई है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में प्रियंका जरूर हिस्सा लेंगी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पुत्र व पश्चिम बंगाल की जांगीपुर संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर किस्मत आजमाने वाले अभिजात मुखर्जी भी पहले ही कह चुके हैं कि अपनी दादी की तरह ही प्रियंका गांधी में भी पार्टी को इस मुश्किल वक्त से उबारकर दोबारा सत्ता में ला खड़ा करने की क्षमता है।

पूर्व मुख्य मंत्री नटवर सिंह ने हाल ही में कहा कि राहुल गांधी के इस्तीफे के मद्देनजर पार्टी

की कमान अब प्रियंका गांधी को सौंपी जानी चाहिए क्योंकि वह हर प्रकार से इसके योग्य हैं। उनका यह भी मानना है कि पार्टी को एकजुट रखने व बिखराव से बचाने के लिए गांधी परिवार के ही व्यक्ति को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। एक अन्य नेता अनिल शास्त्री ने एक ट्वीट के माध्यम से कहा कि प्रियंका पार्टी का नेतृत्व करने के लिए सबसे बेहतरीन व्यक्तित्व हैं

- नटवर सिंह, भक्तचरण दास, श्रीप्रकाश जायसवाल और अनिल शास्त्री आदि खुलकर प्रियंका को अध्यक्ष बनाने के पक्ष में**
- शशि थरुर ने भी की प्रियंका के नाम की वकालत**

और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को चाहिए कि वह उनको अपना नेता चुने।

इसी प्रकार श्रीप्रकाश जायसवाल ने भी कहा कि यही वह मौका है जब प्रियंका को पार्टी की बागडोर संभालने चाहिए क्योंकि वह इस पद के सर्वाधिक योग्य नेता हैं। ओड़ीशा से पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्तचरण दास ने भी यह मांग की कि देश के लाखों कार्यकर्ताओं की मांग के मद्देनजर प्रियंका गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष पद संभालना चाहिए।

प्रियंका के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री व केरल की तिरुवनन्तपुरम संसदीय सीट से कांग्रेस सांसद थरुर ने भी एक इंटरव्यू में रविवार को कहा कि

उनको उम्मीद है कि पार्टी अध्यक्ष पद का चुनाव होने पर महासचिव प्रियंका गांधी वाड़ा इसमें अपनी किस्मत आजमाने को लेकर फैसला करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास स्वाभाविक करिश्मा है जो निश्चित तौर पर पार्टी कार्यकर्ताओं तथा मतदाताओं को प्रेरित और एकजुट कर सकता है। उनकी इसी खूबी के कारण कई लोग उनकी तुलना उनकी दादी और पूर्व पार्टी अध्यक्ष दिवंगत इंदिरा गांधी से करते हैं। वह निश्चित रूप से पार्टी कार्यकर्ताओं में नयी जग्न डालेंगे और साथ ही मतदाताओं को भी पार्टी की ओर खींचेंगे।

चुनावी हार के बाद बीते 25 मई की कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में अध्यक्ष पद से अपने इस्तीफे की पेशकश करने वाले राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया था कि उनके बाद उनके परिवार का कोई और व्यक्ति भी यह पद नहीं संभालेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि दो महीने से अधिक का वक्त गुजर चुकने के बावजूद कांग्रेस राहुल का विकल्प नहीं ढूंढ पाई है।

इस बीच, सोनभद्र आदिवासी हत्याकांड मामले में प्रियंका गांधी के तीखे तेवर देख तमाम पार्टी नेताओं को उनसे उम्मीदें बंध गई हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि कुछ वरिष्ठ नेताओं ने प्रियंका गांधी से मिलकर उनसे अध्यक्ष पद संभालने का आग्रह किया भी था जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। अब कर्नाटक में कांग्रेस की गठबंधन सरकार के पतन और देश भर में कांग्रेस पार्टी में मची भागदड़ को देखते हुए यह देखना अहम है कि कांग्रेस कब तक इस महत्वपूर्ण मामले में निर्णय तक पहुंच पाती है।

किशोरी से सामूहिक बलात्कार, चार के खिलाफ मामला दर्ज

अलवर, 28 जुलाई (भाषा)।

राजस्थान में अलवर जिले के बडौदामेव थाना क्षेत्र में दो युवकों ने एक किशोरी के साथ बलात्कार किया और उसकी निर्वस्त्र फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। पुलिस ने बताया कि किशोरी के परिजनो ने सामूहिक बलात्कार करने वाले दो व्यक्तियों सहित चार लोगों के खिलाफ शनिवार को मामला दर्ज करवाया।

थानाधिकारी दिनेश मीणा ने रविवार को बलाय कि दर्ज शिकायत के अनुसार, पीड़िता के परिवार में रहने वाली एक महिला पिछले सप्ताह उसे बुलाकर अपने घर ले गई जहां पहले से मौजूद एक युवक ने उसके साथ बलात्कार किया। महिला के पति ने पीड़िता की निर्वस्त्र फोटो खींची और उसने भी उसके साथ बलात्कार किया। उन्होंने बताया कि कुछ दिनों बाद एक अन्य एक युवक पीड़िता से मिला और उसकी निर्वस्त्र फोटो उसके पास होने की बात कह कर उससे अकेले में मिलने को कहा। जब पीड़िता ने इस बात से इनकार किया तो उसने उसकी फोटो वाट्‍सऐप पर वायरल कर दी।

टिकटॉक पर वीडियो डालने के मामले में दो कास्टेबल निलंबित

राजकोट, 28 जुलाई (भाषा)।

गुजरात के राजकोट में ड्यूटी के दौरान श्टिंग करने और सोशल मीडिया वीडियो ऐप टिकटॉक पर एक वीडियो डालने के मामले में दो पुलिस कांस्टेबलों को निलंबित कर दिया गया है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि एक पूर्व यातायात वार्डन ने एक पुलिस नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) वैन के बोनट पर खड़े होकर पोज दिया जबकि एक कांस्टेबल गाड़ी चला रहा था और दूसरा पुलिसकर्मी वीडियो शूटिंग कर रहा था।

ए-संभाग पुलिस इंस्पेक्टर एनके जडेजा ने बताया, ड्यूटी के दौरान एक पीसीआर वैन का इस्तेमाल कर एक वीडियो रिकॉर्ड करने में सल्लिप्त पाए जाने के बाद ए-संभाग थाना के दो कांस्टेबलों को निलंबित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस कमिश्नर मनोज अग्रवाल की ओर से की गई जांच में पता चला है कि कांस्टेबल अमित प्रागजी वैन चला रहा था और कांस्टेबल नीलेश पूनाभाई कुछ दूरी से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रागजी और पूनाभाई दोनों को निलंबित कर दिया गया है। जडेजा ने बताया, वीडियो करीब डेढ़ महीना पहले रामनाथ पारा पुलिस लाइन इलाके में शूट किया गया था।

बैंक धोखाधड़ी मामले में भगोड़ों के लिए जारी

लुकआउट सर्कुलर के बारे में सूचना नहीं देगी सीबीआइ

नई दिल्ली, 28 जुलाई (भाषा)।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने सूचना के अधिकार कानून के तहत उन लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) की संख्या बताने से इनकार कर दिया है, जो उसने 2014 और 2019 के बीच बैंक और वित्तीय धोखाधड़ी मामलों में आरोपियों को पकड़ने के लिए जारी किए हैं। सीबीआइ ने कहा कि इससे जारी जांच पर प्रभाव पड़ सकता है।

सूचना मांगने वाले एक आरटीआइ आवेदनकर्ता के अनुसार जांच एजेंसी ने स्वयं द्वारा एलओसी जारी करने के बाद सक्षम प्राधिकारियों की ओर से प्राप्त आदेशों की जानकारी भी देने से इनकार कर दिया। सीबीआइ ने इसके लिए आरटीआइ कानून की धारा 8(1एच) का उल्लेख किया, जो ऐसी सूचना मुहैया कराने से उसे छूट प्रदान करता है जो किसी आरोपी की गिरफ्तारी या अधिरोजन पर प्रतिकूल असर डाल सकती है।यह जांचव पुणे के आरटीआइ कार्यकर्ता विहार दुर्वे की ओर से सीबीआइ, विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में आरटीआइ अर्जी दायर करने के बाद आया है। उक्त अर्जी के माध्यम से बैंक धोखाधड़ी के फरार आरोपियों के खिलाफ जांच के संबंध में जानकारी मांगी गई थी। दुर्वे ने कहा कि एजेंसी द्वारा अपने अधिकारियों द्वारा भगोड़ों को वापस लाने के लिए कानूनी और यात्रा सेवाओं पर किए गए खर्च के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई।

पूर्व केंद्रीय मंत्री फातमी जद (एकी) में शामिल

पटना, 28 जुलाई (भाषा)।

पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने रविवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुआई वाले जनता दल (एकी) की सदस्यता ग्रहण कर ली। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के वरिष्ठ नेता रहे फातमी ने हालिया लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर राजद से नाता तोड़ लिया था।

जद (एकी) के स्थानीय मुख्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बशिष्ठ नारायण सिंह ने फातमी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। सिंह ने फातमी का जद (एकी) परिवार में स्वागत करते हुए कहा कि फातमी साहब के जुड़ने से पार्टी संगठन को दरभंगा के साथ ही पूरे बिहार में मजबूती मिलेगी।

उन्होंने कहा कि फातमी साहब जिस दल से आए हैं उस दल के चंद नेताओं में शुमार थे, ऐसे में इनका उस दल को छोड़ जद (एकी) की सदस्यता लेना बड़ा फैसला है।

तीन तलाक बिल पर राज्यसभा में जदयू के रुख के बारे में पूछे जाने पर सिंह ने कहा कि सदन में बहस के समय हम लोगों का जो रुख होगा उससे आप अवगत हो ही जाएंगे, पर इसको लेकर हमारा पहले जो रुख था, उस पर हम अभी भी कायम हैं और आगे भी कायम रहेंगे। लोकसभा में तीन तलाक बिल का विरोध करते हुए राजन में शामिल जद(एकी) सदन से वॉकआउट कर गई थी।

फातमी ने कहा कि जद(एकी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हो रहे न्याय के साथ विकास, खासकर बिहार के अल्पसंख्यकों के लिए सरकार के जरिए जितनी भी जनोपयोगी योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ व वो रहा है, इससे पहले किसी ही पार्टी की सरकार के जरिए नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने समाज के पिछड़े वर्गों और अकालियतों, चाहे वो किसी भी तरह के अकालियत हों, के मुद्दे पर कभी कोई समझौता नहीं किया।

राष्ट्र

बंगाल में बदमाश को पीट-पीटकर मार डाला ग्रामीणों ने

कल्याणी (पश्चिम बंगाल), 28 जुलाई (भाषा)।

पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थानीय लोगों ने एक बदमाश को पीट-पीटकर मार डाला और एक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। यह जानकारी पुलिस ने रविवार को दी।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि घटना शनिवार रात में कल्याणी पुलिस थानाक्षेत्र के बोगच्चा क्षेत्र में हुई। पुलिस ने बताया कि तीन बदमाशों ने कुछ स्थानीय युवकों पर हमला करके उनसे कीमती सामान लूटने का प्रयास किया। यह सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने तीनों बदमाशों को घेर लिया और उन्हें पीटने लगे।

उन्होंने बताया कि उनमें से एक बदमाश भागने में सफल रहा जबकि दो अन्य की मौतों से बुरी तरह से पिटाई कर दी। उन्होंने बताया कि उनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा अस्पताल में भर्ती है। पुलिस अधिकारी ने कहा, ' इस संबंध में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है'।

मध्य प्रदेश में बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने महिला को पीटा

सागर (मध्य प्रदेश), 28 जुलाई (भाषा)।

सागर शहर के कैंट पुलिस थाना क्षेत्र के भगवानगंज में शनिवार शाम को भीड़ ने मानसिक रूप से बीमार एक महिला (43) की बच्चा चोर होने के शक में कथित तौर पर पिटाई कर दी। कैंट पुलिस थाने के प्रभारी जेजे चौधरी ने रविवार को बताया कि पुलिस को शनिवार शाम को सूचना मिली थी कि कुछ लोगों में सागर रेलवे स्टेशन के पास भगवानगंज में एक महिला को बच्चा चुराने वाली समझ कर पकड़ लिया है व उसके साथ मारपीट भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और महिला को अपनी सुरक्षा में लेकर थाने ले आई। चौधरी ने बताया कि पूछताछ में पता चला है कि इस महिला का नाम मंजू है और वह मध्य प्रदेश के रत्नाम शहर की शुभम कालोनी की रहने वाली है। उन्होंने कहा कि वह मानसिक तौर पर पूरी तरह स्वस्थ नहीं लग रही है। वह यह नहीं बता पा रही है कि किस परिेशानी के चलते ट्रेन में सवार होकर यहां आई।

चौधरी ने बताया कि इस संबंध में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर चुका है।

पंजाब एण्ड टिथ बैंक
(लोकप्रिय बैंक)
र.क. 21, स्टॉड रोड, नई दिल्ली-110008
फोन: +91 11 28129285
वेबसाइट: www.pnbIndia.com,
ईमेल: compliance@pcfb.org।

सूचना
सेबी (सूचीकृत दायाँ) तथा प्रकट अनिवार्यताओं) अधिनियम, 2015 के विनियमन 29 के साथ पठित विनियमन 47 के अनुसार हमें एचए द्वारा सूचना दी जाती है कि पंजाब एण्ड टिथ बैंक को निदेशक मंडल की बैठक 07 अगस्त, 2019 को दिल्ली में आयोजित की जाएगी जिसमें 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही (Q1) के बैंक के अल्पसह्यशीक्षित, समीक्षित वित्तीय परामर्शकों को रिपोर्ट में लेने के साथ-साथ उनका कसबबंद किया जायेगा। (उपरोक्त सूचना बैंक की वेबसाइट (www.pnbIndia.com/investors_information.php तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com एवं www.nseindia.com/ पर उपलब्ध है।) दिनांक: 28 जुलाई, 2019 स्थान: नई दिल्ली [विषय संबंधित] कम्पनी सचिव

GLOBUS SPIRITS LIMITED
NOTICE
In terms of the Clause 29(1) of the SEBI Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that the next meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday, the 3rd August, 2019, inter-alia (I), to consider and take on record the Un-audited financial results of the Company for the 1st Quarter ended on 30th June 2019 (II) to fix the date and venue for conducting the Annual General Meeting for the financial year 2018-19 & to fix the Book Closure date for the purpose of AGM, and (III) to consider the proposal for issuance of warrants convertible into equity shares on preferential basis to the promoter Groups/entities of the company subject to the approval of share holders. The said notice is also available on the company’s website www.globusspirits.com and also available on BSE & NSE website. For Globus Spirits Limited Sd/- Santosh Kumar Pattanayak (Company Secretary) Dated: 27th July, 2019

फार्म जो अभिलेख की अभिलेखिता का अभ्यंत्रण	
(दिलवाला तब दिवालिया (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिये दिवाल प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन अडर (1) के अंतर्गत)	
संबंधित दिवालिया	
1. कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	लिव्ड इमेक्स प्राइवेट लिमिटेड
2. कॉर्पोरेट ऋणधारक के निम्नलिंक नाम	9 जनवरी, 1998
3. यह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निम्नलिंक-संकेतन है	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय-आरओसी-दिल्ली
4. कॉर्पोरेट ऋणधारक का कॉर्पोरेट पहचान संख्या/सीडीएन/वित्तीय पहचान संख्या	U18101DL1998PLC091759
5. कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	संकेतिक पता: 1/204, यूसुफ, सारंग कमान, दिल्ली कैम्प, नई दिल्ली-110010, भारत
6. कॉर्पोरेट ऋणधारक के संबंध में दिवालिया आदेश को की तिथि	14 मई, 2019- आदेश की तिथि, 16 मई, 2019- आदेशप्राप्ति के रूप में निर्णयित के निम्नलिंक को सूचना देते हुए मानवीय एक्सप्लेनरी से ईमेल प्राप्त की गई। 21 मई, 2019- आदेश को प्रति की प्रति।
7. अभिलेख की अभिलेखित के अभ्यंत्रण की तिथि	29 जुलाई, 2019
8. संकेत का धारा 25(2) (एच) के अंतर्गत प्रस्ताव आवेदकों की सूचना उपलब्ध है।	http://www.l1caipr.com/
9. धारा 29ए के अंतर्गत लाने वाले आवेदक का नाम/उपलब्ध है।	http://www.l1caipr.com/
10. अभिलेख की अभिलेखित प्राप्ति की अंतिम तिथि	19 अगस्त, 2019
11. संभावित प्रस्ताव आवेदकों को अर्थात् सूची जारी होने की तिथि	29 अगस्त, 2019
12. अर्थात् सूची के प्रति आवृत्ति जमा करने की अंतिम तिथि	3 सितंबर, 2019
13. संभावित प्रस्ताव आवेदकों की अंतिम सूची जारी होने की तिथि	13 सितंबर, 2019
14. संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के लिये सूचना प्रसारित, पुनर्जांच/निर्णय तथा अनुसूच जारी होने की तिथि	03 सितंबर, 2019
15. प्रस्ताव योजना, सूच्यंकन निर्देशन, सूचना मेसेजिंग तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका	संकेतिक को धारा 29(2) के अनुसार गोपनीयता का अंतर्देशित जमा करने के बाद क्रेडिटो को सूचनाित द्वारा निर्दिष्ट तथा दिवालिया एवं दिवालिया सीडीएन (सीडीएन) को धारा 29(2) के अनुसार सूचना मान्यद पत्र करने वाले संभावित प्रस्ताव आवेदकों को निवेद्युक्त पत्रान जमा करने के लिये सूचना मेसेजिंग, प्रसिन नेट, सूच्यंकन मैट्रिक्स तथा निवेद्युक्त पत्रान के लिये अनुसूच निवेद्युक्त प्रक्रियामें द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पद्धति/भौतिक पद्धति में उपलब्ध करा जायेगा।
16. प्रस्ताव योजना जमा करने की अंतिम तिथि	7 अक्टूबर, 2019
17. प्रस्ताव कमी के धारा प्रस्ताव योजना जमा करने का तरीका	प्रस्तावकों में सीड प्रोटोकॉलकॉपी फोटो द्वारा/भौतिक-द्वारा तथा उत्प्रेरकों इलेक्ट्रॉनिक जित। jipl.lip@l1ca.net पर ईमेल द्वारा
18. सूच्यंकित के लिये निवेद्युक्त प्राधिकरण के धारा प्रस्ताव जमा करने की अनुमति तिथि	29 अक्टूबर, 2019
19. प्रस्ताव कमी का नाम तथा पंजीकरण संख्या	अधिकृतिकुमार गुप्ता (IBBI)/IPA-001/JP-P00780/2017-18/11353
20. कोड में तथा-पंजीकृत प्रस्ताव कमी का नाम, धारा तथा ई-मेल	अधिकृतिकुमार गुप्ता, पारसीपुर, ए-16/4, सरत विहार, नई दिल्ली-110057, ई-मेल: Akhilesh@l1ca.net
21. प्रस्ताव योजना के साथ पत्राचार के लिये प्रयोग करने के लिये पत्राचार का पता ईमेल	अधिकृतिकुमार गुप्ता, पृथ्वी एवं तृतीया रीटिंग/एचए 16-ए/16-9, सरत विहार, नई दिल्ली-110057, ई-मेल: akhilesh_jipl@l1ca.net
22. दिवालिया प्रस्ताव उपलब्ध है	http://www.l1caipr.com/
23. फार्म जो के प्रकाशन की तिथि	29 जुलाई, 2019

(अधिकृतिकुमार गुप्ता), रिजॉनल्यूशन प्राधिकृत पंजीकरण संख्या- IBBI/IPA-001/JP-P00780/2017-18/11353 पंजीकृत पता: एलवीएच, ए-16/4, सरत विहार, नई दिल्ली-110057 स्थान: दिल्ली लिव्ड इमेक्स प्राइवेट लिमिटेड (कॉर्पोरेट ऋणधारक) के लिये

आनलाइन परीक्षा टेंडर की जानकारी आरटीआइ में नहीं मिल सकती : आयोग

जनसत्ता ब्यूरो

जयपुर, 28 जुलाई।

राजस्थान सूचना आयोग ने अपने महत्त्वपूर्ण फैसले में लोक सेवा आयोग की आनलाइन परीक्षा टेंडर की जानकारी को संवेदनशील और गोपनीयता के लिहाज से आरटीआइ के दायरे से बाहर माना है। आयोग ने इसकी जानकारी हासिल करने के लिए दायर याचिका को खारिज करते हुए प्रतियोगी परीक्षा को गोपनीयता और निष्पक्षता को देखते हुए कहा कि इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। सूचना आयोग ने राज्य लोक सेवा आयोग के खिलाफ दायर द्वितीय अपील को मुनवाई के बाद खारिज कर दिया। राज्य सूचना आयुक्त आसुतोष शर्मा ने अपने फैसले में कहा कि सूचना के अधिकार अधिनियम का उद्देश्य पारदर्शिता लाने के साथ संवेदनशील सूचनाओं की गोपनीयता को भी बनाए रखना है। इसलिए ऐसी सूचनाएं किसी सरकारी दफतर की सामान्य टेंडर की सूचनाएं नहीं मानी जा सकती है। सूचना आयोग में अजमेर निवासी तरुण अग्रवाल ने द्वितीय अपील के जरिए राज्यसूचना

मेघालय के विधानसभा अध्यक्ष राॅय का निधन

शिलांग/गुरुग्राम, 28 जुलाई (भाषा)।

मेघालय विधानसभा के अध्यक्ष डॉनकूप राॅय का गुरुग्राम में एक निजी अस्पताल में रविवार को निधन हो गया। वह कुछ समय से बीमार चल रहे थे। वह 64

भारुनी इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
सीआईएन : U65100DL1981PTCA06031
पंजीकृत कार्यालय : डीन फोल्डर कार्यालय, खसरा नं. 8/1-1 10-2 9/ 3-4-5-6, मदीपुर रोड, तलसीन मस्जिदी, नई दिल्ली-110084
ई-मेल : gks@vsnl.com
प्रचार सं. आईएनसी(26) [कम्पनी (निगम)] नियममाली, 2014 के नियम 30(6) के अनुसार लघु सार्वजनिक सूचना
डि.बी.ए. निदेशक, उत्तरी क्षेत्र
कार्यालय मंत्रालय, बी-2 विंग, इंदिरा प्लस, पं. दीनदयाल अय्युक्त मंत्रालय, नई दिल्ली-110003 के संसाह
तथा
कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 13(4) तथा कम्पनी (निगमन) नियममाली, 2014 के नियम 30(6)(क) के विषय में
तथा
भारुनी इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय : डीन फोल्डर कार्यालय, खसरा नं. 8/1-1 10-2 9/ 3-4-5-6, मदीपुर रोड, तलसीन मस्जिदी, नई दिल्ली-110084 में स्थित है के विषय में
.....याचिकावाला
एतद्द्वारा संस्थापक को सूचना दी जाती है कि कम्पनी द्वारा इतका पंजीकृत कार्यालय के माध्यम से प्रसारित प्रस्ताव के निम्नलिंक के अनुसार कम्पनी के संसाह ज्ञापन में संशोधन को प्रति की याचना हेतु, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधिन एक आवेदन अर्थात् निवेद्युक्त, उत्तरी क्षेत्र, इंदिरा प्लस, सी.बी.डी. कॉम्प्लेक्स, पार्लियमन ब्लाक, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 के संसाह प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।
कोई भी व्यक्ति जिसका रिज कम्युनि के पंजीकृत कार्यालय के प्रसारित संशोधन से प्रभावित होने की संभावना है, अपने रिज के संसाह तथा विधि के अनुसार के उल्लेखकारी संसाहण द्वारा समीक्षित अपनी आवृत्तियों को निवेद्युक्त, उत्तरी क्षेत्र, कार्यालय मंत्रालय, बी-2 विंग, इंदिरा प्लस, पं. दीनदयाल अय्युक्त मंत्रालय, सी.बी.डी. कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिन के भीतर मुद्रित कर सकता है अथवा अपना सलाहते है अथवा जोडित्वा अडर से नमन सलाहते है जिसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को इसके उपरान्त/पंजीकृत कार्यालय के पते पर भेजी जानी चाहिए।
कोई भी सीडीएन आरदार वाले सूचनाई इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ है।
हस्ता/ / (सिहर विधि बन्धन)

अन्य जगह को सूचना दे जाती है कि चर्चा को प्रसारित करने का अधिकार देने के लिए, गुब्बारा दिनांक 19 फ़रवरी 2019 को अखिलीक अल्पसंख्यक आम बैठक में पालि विधि प्रस्ताव के अनुसार वाइटेड लिमिटेड अडर से संशोधित प्रस्ताव को इस अधिनियम 2013 की धारा 14 के अधिन आवेदन करने की तिथि को प्रस्तावित करेंगे। / किसी के कारण, यदि किसी व्यक्ति का रिज प्रभावित होने की संभावना है, तो यह व्यक्ति, द्वारा अपने रिज/विषय/हस्ताक्षर में उपलब्ध कराने हुए, निवेद्युक्त लिज /विषय के आधार में, इस सूचना के प्राने के चौदह दिनों के भीतर निवेद्युक्त, उत्तरी क्षेत्र, कार्यालय मंत्रालय, बी-2 विंग, इंदिरा प्लस, पं.दीनदयाल अय्युक्त मंत्रालय, सी.बी.डी. कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को उनीजुत तल्ल अडर प्रेषित करे तथा इसकी एक कपी आवेदक कम्पनी को उपरोक्त पंजीकृत कार्यालय **खसरा नं. 350, एच बी रोड, लुक्सवोर, नई दिल्ली-110030** में भी भेजे है।
को
डिवस ई कोर्पोरट लिमिटेड
(निवेद्युक्त)

दिनांक: 27.07.2019
स्थान: नई दिल्ली
DIN: 07331153

LUMAX **ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड** **DK JAIN GROUP**

पंजी. कार्यालय : इंदिरा प्लस, हर्बल मन्शन-II, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, नागल रावा, नई दिल्ली-110046

वेबसाइट : www.lumaxworld.in/LumaxIndustries, **दूरभाष :** 011-49857832

ईमेल : lumaxshare@lumaxmail.com, **सीआईएन :** L74899DL1981PLCO12804

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की 38वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) शुक्रवार, 23 अगस्त, 2019 को 10.30 पूर्वा. में एयर फोरस ऑडिटोरियम, सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली-110010 में आयोजित की जाएगी जिसमें कम्पनी के शेयरधारकों को भेजी गई सूचना में वर्णित व्यवसायों (साधारण तथा विशेष) को निष्पादित किया जाएगा।

एजीएम की सूचना सहित वित्त वर्ष 2018-19 के लिये कम्पनी का वार्षिक रिपोर्ट उनके पंजीकृत पते पर शेयरधारकों को प्रेषित कर दी गई है तथा ऐसे सभी शेयरधारकों को ईमेल कर दी गई है जिनके ईमेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीकृत है।

कम्पनी का वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.lumaxworld.in/lumaxindustries.com पर भी उपलब्ध है तथा एजीएम में निष्पादित होने वाले व्यवसायिक मदों से संबंधित दस्तावेज सभी कार्य दिवसों को (शनिवार छोड़कर) व्यवसायिक अवधि के दौरान कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं।

कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमवली, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान की सुविधा सोमवार, 19 अगस्त, 2019 को 9.00 बजे पूर्वा. (आईएस्टी) में शुरू हो गई तथा गुरुवार, 22 अगस्त, 2019 को 5.00 बजे अप. (आईएस्टी) में शुरु होगा। उक्त तिथि एवं समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

जिस व्यक्ति का नाम करट-ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, 16 अगस्त, 2019 को सदस्यों के रिजिस्टर/लाभधारी स्वामियों के रिजिस्टर में शामिल होगा, वे ही रिमोट ई-वोटिंग के साथ ही साथ सभी में मत-पत्र द्वारा मतदान करने की सुविधा प्राप्त करने के लिये अधिकृत होंगे।

यदि कोई व्यक्ति सभा की सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का शेयर अर्जित करते है तथा सदस्य बनते हैं तथा करट-ऑफ तिथि अर्थात् 16 अगस्त, 2019 को शेयर धारित करते हैं, वे ई-मेल आईडी einward.iris@karvy.com पर कार्या की अनुरोध भेजकर यूसर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। यूसर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया का उल्लेख ई-वोटिंग निर्देशों में किया गया है जो कम्पनी तथा कार्या की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यदि कोई सदस्य ई-वोटिंग के लिए कार्या में पहले से पंजीकृत है, तो रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान करने के लिए अपने वर्तमान यूसर आईडी तथा पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिए हों, वे सभामें शामिल हो सकते हैं। लेकिन फिर से मतदान करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान नहीं किए हैं, उनके लिए सभा में मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

शेयरधारकों को यह भी सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा उसके अंतर्गत लागू होने वाले नियमों तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अधिका) विनियमन, 2015 के विनियमन 42 के अनुसारलन में सदस्यों के रिजिस्टर तथा कंपनी की शेयर अंतरण पुस्तकें शनिवार, 17 अगस्त, 2019 से शुक्रवार, 23 अगस्त, 2019 (दोनों दिवस सहित) तक इलेक्ट्री शेयर लाभांश के भुगतान के लिए शेयरधारकों की अधिकारिता सुनिश्चित करने के लिए चर्द रहेंगे।

ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्नों/समस्याओं के लिए शेयरधारक <https://evotting.karvy.com> के “Downloads” खंड में उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQ’s) तथा ई-वोटिंग यूसर मैनुअल देखें अथवा निम्नलिखित से संपर्क करें:

क) यूथ्री अंकिता गुप्ता, प्लॉट नं. 878, उद्योग